संख्या- 07 /2021/113180/342/जेड/6-सा-3-2021-बजट(01)/2021

प्रेषक,

राजन शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद,
लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 01 अप्रैल, 2021**

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष **2021-22** के बजट में प्रावधानित **रू0 1,21,37,000/- (रू0 एक करोड़ इक्कीस लाख सैंतीस हजार मात्र)** वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22-03-2021 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं तदनुसार निम्नलिखित मदों पर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

लेखा शीर्षक/मद	प्रावधानित धनराशि (लाख रूपयों में)	स्वीकृत धनराशि (लाख रूपयों में)
अनुदान सं0-28 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-03-उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय		
01-वेतन	82.81	82.81
03-मंहगाई भत्ता	24.84	24.84
04-यात्रा व्यय	0.50	0.50
06-अन्य भत्तो	1.30	1.30
07-मानदेय	0.50	0.50
08-कार्यालय व्यय	0.70	0.70
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.20	0.20
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.20	0.20
13-टेलीफोन पर व्यय	0.20	0.20
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.20	0.20
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	0.10	0.10
18-प्रकाशन	0.01	0.01
19-विज्ञापन बिक्री और विज्ञापन व्यय	0.01	0.01
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0.01	0.01
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.01	0.01
42-अन्य व्यय	0.10	0.10
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.20	0.20
46-कम्प्यूटर हार्ड वेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	0.01	0.01
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.30	0.30
49-चिकित्सा व्यय	1.50	1.50
51-वर्दी व्यय	0.01	0.01
55-मकान किराया भत्ता	7.66	7.66
56- नगर प्रतिकार भत्ता	--	--
योग	**121.37**	**121.37**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहॉ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाय। वर्तमान स्थिति में शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी किये गये और जो भविष्य में जारी हों, शासनादेशों का अनुपालन कडाई से किया जाय तथा आवंटित धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

3- एक मद में स्वीकृत धनराशि शासन की बिना पूर्व अनुमति के दूसरी मदों में व्यय न की जाय।

4- वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि का कोषागार से आहरण सुनिश्चित किया जाय।

5- उक्त धनराशि से सम्बन्धित मदवार व्यय विवरण नियमित रूप से महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 प्रयागराज को प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह में भेजा जाय, जिसकी एक प्रति शासन को भी प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक "2251- सचिवालय-सामाजिक सेवायें-092-अन्य कार्यालय-03-उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(राजन शुक्ला)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 07 /2021/113180/342 (1)जेड/6-सा-3-2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3-वरिष्ठ आडिट ऑफिसर (आडिट/प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15-थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।
4-मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
5-निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उ0प्र0 शासन।
7-आहरण एवं वितरण अधिकारी।
8-अधीक्षक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, लखनऊ/मथुरा।
9-राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1/2/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सूर्य कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in